SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW- 226014

OFFICE OF THE DIRECTOR

Phones: 0522-2668112, 0522-2494059, 0522-2494001, 0522-2494003, 0522-2494280

FAX: 91-522-2668129

पी0जी0आई0 / निदेशक / कैम्प / 391 / 2022 दिनांकः 06.06.2022

Office order/Dir. camp
RSD No. 1485/13

कार्यालय आदेश

देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) 2016 के नियम 4(2) के अनुसार (संशोधित), 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग पर रोक का आदेश जारी किया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

उक्त के अनुपालनार्थ सभी संस्थानवासियों एवं संस्थान परिसर में संचालित दुकानों के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

1. सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का उपयोग संस्थान परिसर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
2. परिसर की दुकानों से खरीदारी के लिए प्लास्टिक बैग (पॉलीथीन) के स्थान पर कागज, कपड़े, जूट आदि के थैले का उपयोग करें।
3. दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है की वे किसी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें।

अतः सभी से अपेक्षा कि जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सभी विभागाध्यक्ष।
2 सभी संकाय सदस्य।
3 चेयरमैन सिक्योरिटी।
4 समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी।
5 सभी संस्थानवासी।
6 संस्थान परिसर में स्थापित सभी दुकानदार।
7 विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को इस आशय से की संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8 नोटिस बोर्ड।
9 कार्यालय प्रति

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक